



पित

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)



II/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/1371

श्रीमती दुर्घटिया पत्नी श्री रामखेलावन लोहार, निवासी ग्राम-चोरहा,  
तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)  
आज दि. 23/1/18  
प्रारम्भिक तर्क  
दि. 6/3/18 नियत।

कलर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

..... आवेदिका/निगरानीकर्ता

बनाम

1. बाबूलाल बसोर तनय सुखई बसोर, निवासी ग्राम चोरहा, तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)।
2. म0प्र0 शासन ..... अनावेदक/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय रीवा जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 02/अ-19/निगरानी/2017.18 पारित आदेश दिनांक 09.01.2018।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

79

अनुपपति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक II/निग/रीवा/भू-25/18/1371,

दुधिया/बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>09-1-19</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>ए.के. शुकला</u>                      अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>रीवा</u>                      के प्रकरण क्रमांक <u>02/35-19/निग/17-18</u> में पारित आदेश दिनांक  <u>09/01/18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में                      दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित                      संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु                      प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया                      जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>13-4-19</u> को संभागीय आयुक्त  <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="right">सदस्य</p>	

*(Handwritten mark)*